न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 3137–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–12 पारित द्वारा तहसीलदार, पृथ्वीपुरा प्रकरण कमांक 24/अ–12/11–12.

———

काशीराम उर्फ कसुआ पुत्र हल्का ढीमर
निवासी ग्राम मडिया तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– दयाराम पुत्र श्री अनंदी पाल
2– रामप्यारे पुत्र अनंदी पाल
3– कल्लू पपुत्र अनंदी पाल
4– सन्तोष पुत्र अनंदी पाल
समस्त निवासीगण अछरू माता मडिरूा
(दुर्गापुर) तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ म.प्र.
5– मुन्नी ढीमर पुत्र फुन्दी ढीमर,
निवासी मडिया (दुर्गापुर)
तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़
6– भगवानदास पुत्र फुन्दी ढीमर,
निवासी मडिया (दुर्गापुर)
तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ ——— अनावेदकगण

———

श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09 जुलाई 2015 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसीलदार, पृथ्वीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 23–7–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया जिस पर से प्रकरण

पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर सीमांकन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । इसके पालन में राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामे के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसकी पष्टि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । तहसीलदार के सीमांकन पुष्टि करने संबंधी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सरहदी काश्तकार है । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना सरहदी काश्तकारों को नहीं दी गई । पंचनामा पर आवेदक की बहू के उपस्थित होने का उल्लेख और हस्ताक्षर न करने का उल्लेख झूंठा है । तहसीलदार ने प्रकरण के स्वरूप को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । पूर्व में विवादित भूमि के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य विवाद चला जो निरस्त हुआ ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही विधिवत की गई है । आवेदक की बहू सीमांकन के समय उपस्थिति थी किंतु उसने पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये । उनके द्वारा उक्त आधार पर तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में जो राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ जो पंचनामा पेश किया गया है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि मौके पर आवेदक काशीराम की बहू उपस्थित रही परंतु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया । ऐसी स्थिति में आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं कि उसकी बहू के सीमांकन के समय उपस्थित होने का उल्लेख और हस्ताक्षर न करने का उल्लेख झूंठा है । आवेदक की ओर से ऐसा को प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथन को सही माना जा सके । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर